

S. No. 234482



1573

RESULT-cum-DETAILED MARKS CARD
LL.M (PREV) EXAM MAY, 2017

Name DEEKSHA BHARTI
Father's Name Shri HARI PRASAD
Mother's Name: Smt. MAYA DEVI

DETAIL OF MARKS

Sl. No.	Subject	Marks Obtained	Minimum Pass Marks	Maximum Marks
1.	L001 LAW SOC. TRANSFORM. & JUD. PROC. IN INDIA	54	050	100
2.	L002 INDIAN CONST. LAW & THE NEW CHALLENGES	50	050	100
3.	L003 PRINCIPLES OF STATUTORY INTERPRETATION	57	050	100
4.	L004 LEGAL THEORY	51	050	100
5.	LC01 CORPORATE LAW & MANAGEMENT	50	050	100
6.	LC02 LAW OF CONTRACTUAL TRANSACTIONS	57	050	100
7.				
8.				
9.				
0.				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	Grand Total	0319	0300	0600

RESULT: PASSED & HAS OBTAINED THREE HUNDRED NINETEEN MARKS

DATED: OCT 06, 2017

KURUKSHETRA

Checked by 1 _____
(Full Signature)

(Clerk)

Date of Issue

24 OCT 2017

अपर जिल्ला न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (प्राविधिक) कोर्ट नं-12 लखीमपुर-खीरी

Mujc

CONTROLLER OF EXAMINATIONS

1089336



DMC No. 452494

Roll No. 2002251

Regn.No. 16-DE-1070

RESULT-cum-DETAILED MARKS CARD
LL.M. PART -II EXAM MAY, 2018

Name: DEEKSHA BHARTI
Father's Name: Shri HARI PRASAD
Mother's Name: Smt. MAYA DEVI

DETAIL OF MARKS

Sr. No.	Subject	Marks Obtained	Minimum Pass Marks	Maximum Marks
1.	LN01 RESEARCH METHODOLOGY	56	050	100
2.	LN02 LAW OF BANKING & NEGOTIABLE INSTRUMENTS	60	050	100
3.	LN03 LAW OF INDUST. & INTELLECTUAL PROPERTY	64	050	100
4.	LN04 INSURANCE LAW	54	050	100
5.	LN05 LEGAL REGULATION OF ECO. ENTERPRISES	60	050	100
6.	LN06 DISSERTATION	86	050	100
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.	TOTAL MARKS OF LLM-I Grand Total	0380 0319 0699	0300 0300 0600	0600 0600 1200

RESULT PASSED & HAS OBTAINED SIX HUNDRED NINETY NINE MARKS

DATED: DEC 31, 2018
KURUKSHETRA

Checked by 1 _____ 2 _____
(Full Signature) (Clerk) (Assistant)

Date of issue: 30 JAN 2019

Attest
अपर सिली एवं सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश (पीठों के अध्यक्ष)
कोर्ट नं-12, लखीमपुर

CONTROLLER OF EXAMINATIONS

trolley



कुरुक्षेत्र-विश्वविद्यालयः, कुरुक्षेत्र

(1956 तम-वर्षगत-राज्यविधायिका-अधिनियम-XII-द्वारा स्थापितः)
 ("ए+" श्रेणी, नाक - प्रत्यायितः)

मास्टर ऑफ़ लॉज़

इदमत्र प्रमाणीकियते यत् दीक्षा भारती
 श्री हरि प्रसाद महोदयस्य पुत्रः/पुत्री मई २०१८
 तमे संवत्सरे दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय तोऽस्य
 विश्वविद्यालयस्य परीक्षां द्वितीय श्रेण्यां समुत्तीर्य मास्टर ऑफ़ लॉज़
 इत्युपाधिना समलङ्कृत/समलङ्कृता-इति ।

Kurukshetra University, Kurukshetra


(Established by the State Legislature Act XII of 1956)
 ("A+" Grade, NAAC Accredited)


Master of Laws


*This is to certify that Deeksha Bharti
 son/daughter of Shri Hari Prasad and of the
 Directorate of Distance Education
 has obtained the degree of Master of Laws
 from this University, having passed the
 examination for the said degree
 held in May 2018, in the Second Division.*


कुरुक्षेत्रे, तिथिः जनवरी ३१, २०१९
 Kurukshetra, Dated: January 31, 2019

Attest
 प्रो. जे. ए. सिंह /
 प्रो. न्यायविद्यालय (पुस्तकें अतिनिर्भर)
 कोर्ट नं०-१२, लखीमपुर खीरी


 परीक्षा नियंत्रकः
 Controller of Examinations


 कुलसचिवः
 Registrar


 कुलपतिः
 Vice-Chancellor


 कुलाधिपतिः
 Chancellor



अधक.

सेवा में,

द्वारा,

दीक्षा भारती,
अपर सिविल जज (अवर खण्ड)
कोर्ट संख्या-2, लखीमपुर खीरी।

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।

विषय-उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-8/2018/279/दो-4-2018-45(12)/91 टीसी, नियुक्ति अनुभाग-4, लखनऊ दिनांकित 13 अप्रैल 2018 के आधार पर विधि स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के कारण पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निवेदन।

महोदय,

सत्सम्मान निवेदन करना है कि प्राथिनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नोटिफिकेशन संख्या 3863/ Admin.(Services)/2019 दिनांकित 14.11.2019 के अनुपालन में जनपद न्यायालय लखीमपुर खीरी में अपर सिविल जज (अवर खण्ड) कोर्ट संख्या 2 के पद पर दिनांक 15.11.2019 को पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण किया गया। प्राथिनी द्वारा कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र हरियाणा से एल0एल0एम0 की डिग्री प्राप्त की गयी किन्तु परीक्षाफल विलंब से आने के कारण इस शैक्षिक योग्यता का उल्लेख उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापित के समय प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में नहीं किया जा सका था।

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-8/2018/279/दो-4-2018-45(12)/91 टीसी, नियुक्ति अनुभाग-4, लखनऊ दिनांकित 13 अप्रैल 2018 द्वारा विधि स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के आधार पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-8/2018/279/दो-4-2018-45(12)/91 टीसी, नियुक्ति अनुभाग-4, लखनऊ दिनांकित 13 अप्रैल 2018 के आधार पर प्राथिनी की उक्त शैक्षिक योग्यता को विभागीय शैक्षिक योग्यता में सम्मिलित किये जाने एवं उक्त शैक्षिक योग्यता के आधार पर अतिरिक्त परिलब्धि तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने की कृपा की जाये।

एल0एल0एम0 उत्तीर्ण अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति श्रीमान् जी के सम्मक्ष सादर अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है।

प्राथिनी इस कार्य हेतु आजीवन आभारी रहेगी।

भवदीया
Deeksha Bhatti
30/06/2020
(दीक्षा भारती)

अपर सिविल जज (अवर खण्ड)
कोर्ट संख्या-2, लखीमपुर खीरी।

JO CODE - UP3327

संलग्नक:-एल0एल0एम0 उत्तीर्ण अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति।

जनपद न्यायालय लखीमपुर खीरी

क्रमांक 717 I-3/19 दि. 01-07-2020

अधीनस्थ

दिलीप कुमार शर्मा

न्यायाधीश (अधीनस्थ)
30-06-2020